

4. यदि किसी भी प्रकार की समस्या ऑनलाइन फार्म भरने के समय आती हो, तो मोबाईल नं.—9304963349 पर अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं अथवा ई—मेल द्वारा prsuunivhelpdesk@gmail.com पर अपनी समस्या भेज कर समाधान कर सकते हैं।
5. परीक्षार्थी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं उपरोक्त बताये अनुसार प्रक्रिया पश्चात् अपनी हार्डकॉपी की कॉपी प्रिंट करके छात्र (छात्र प्रति) अपने पास रखेंगे तथा संबंधित (University Copy) परीक्षा केन्द्रों में अग्रेषण शुल्क राशि रु. 30/- (रुपये तीस मात्र) के साथ जमा करेंगे।
6. किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में वि.वि. की एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है (केवल भाषा में डिप्लोमा एवं डी.सी.ए. वन इयर पार्ट टाइम पाठ्यक्रम को छोड़कर)।
7. परीक्षार्थियों के ऑनलाइन फार्म भरने के समय पिता/पति के नाम के कॉलम रखे गये हैं जिसमें विवाहित महिला परीक्षार्थी जिनकी अंकसूचियों में वि.वि. प्रक्रिया के तहत उपनाम परिवर्तन हो चुका है वे ही अपने पति का नाम अंकित करें।

अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक टीप :-

1. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन को जाँच उपरांत विश्वविद्यालय के Online Portal पर अपलोड करें।
2. परीक्षार्थी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं उपरोक्त बताये अनुसार प्रक्रिया पश्चात् अपनी हार्डकॉपी की कॉपी प्रिंट करके छात्र अपने पास रखेंगे तथा संबंधित परीक्षा केन्द्रों/अध्ययनशालाओं में अग्रेषण शुल्क राशि रु. 30/- (रुपये तीस मात्र) प्रति छात्र के हिसाब से केन्द्र में जमा करेंगे। जिसमें से रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र) प्रति छात्र परीक्षा केन्द्र अपने पास रखेंगे जिसका उपयोग वे परीक्षा के दौरान निर्धारित मद में व्यय करेंगे जिसका उल्लेख केन्द्राध्यक्षों को पूर्व में वार्षिक परीक्षा 2021 के समय उपलब्ध कराई गई केन्द्राध्यक्षों को निर्देश पर उल्लेखित है। एवं रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र) प्रति छात्र आसंजित महाविद्यालयों को अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में जमा करना होगा। इसी प्रकार अध्ययनशालाओं द्वारा संबंधित केन्द्राध्यक्ष को रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र) प्रति छात्र के हिसाब से जमा करना होगा।
3. संबंधित पाठ्यक्रमों के संबंधित अध्यादेश एवं अध्यादेश क्र.170 के प्रावधानों के तहत पात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन परीक्षण एवं प्रमाणित करें।
4. जिन कक्षा/विषयों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है, उनके परीक्षा आवेदन अग्रेषित न किए जाएं।
5. जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जा रहे हैं उनकी कक्षा में उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। 75% से कम तथा 60% से अधिक उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र तभी अग्रेषित किए जाएं जब उनकी उपस्थिति परीक्षा के पूर्व 75% हो जायेगी। 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र नियमानुसार अग्रेषित न किए जाएं। इसी प्रकार जो परीक्षार्थी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में शामिल नहीं हुये हों या सेमेस्टर के मध्य में अंतराल (गेप) हो उनके आवेदन अग्रेषित न किये जावें।
6. प्रथम सेमेस्टर से लेकर अंतिम सेमेस्टर तक के परीक्षार्थी अपना पूर्व में आबंटित रोल नम्बर का ही उपयोग करेंगे।
7. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र नामिनल रोल लिस्ट अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार (अल्फाबेटिकली) बनाकर वि.वि.के संबंधित परीक्षाओं के कार्यसहायकों के पास अनिवार्य रूप से जमा करें।

N/12

1. अग्रेषण अधिकारी यह ध्यान देवें कि परीक्षार्थियों का पूर्व सेमेस्टर की समस्त अंकसूची अनिवार्य रूप से परीक्षण करते हुए ही परीक्षा आवेदन की भलीभांति जांच कर लें।
2. यदि किसी परीक्षार्थी के पात्रता न होने पर भी वह ऑनलाइन से अपना आवेदन कर देता है तो वि.वि. द्वारा बाद में ज्ञात होने पर उसका आवेदन निरस्त हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित परीक्षार्थी एवं महाविद्यालय की होगी। परंतु फिर भी यदि ऐसे अपात्र परीक्षार्थी किसी प्रकार से परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो उनके परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जावेंगे।
3. अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रत्येक परीक्षार्थी के आवेदन का परीक्षण करें, परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन पद्धति में इंटरनेट बैंकिंग / एस.बी.आई बैंक चालान / डेबिट कार्ड द्वारा जमा कराई जा सकेगी।

आदेशानुसार,

20/11/2023

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2603 / परीक्षा / परीक्षा आवेदन / सेमेस्टर / ऑनलाइन / 2023
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, (छ0ग0),
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, 492002 (छ0ग0),
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, 492002 (छ0ग0),
4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों / परीक्षा केन्द्रों एवं वि.वि अध्ययनशाला के अंतर्गत संबंधित अध्ययनशालाओं को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त निर्धारित तिथि तक संबंधित परीक्षार्थियों से परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन द्वारा भरावें।
5. स.कु.स., गोपनीय को इस निवेदन के साथ कि दिसंबर-जनवरी 2023-24 में आयोजित होने वाले वि.वि. अध्ययनशाला एवं महाविद्यालयों में होने वाले परीक्षाओं की गोपनीय तैयारी यथा शीघ्र पूर्ण कर लेवे ताकि अकादमिक कैलेण्डर 2023-24 के अनुसार परीक्षा संपन्न किया जा सके।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
7. उ.कु.स., विकास / उ.कु.स., अकादमिक / उ.कु.स., प्रशासन, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
8. प्रभारी, आई.क्यू.ए.सी. (IQAC), पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
9. प्रभारी, वि.वि.मुद्राणालय / प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी / वित्त नियंत्रक / संबंधित परीक्षा कार्य सहायकों को,
10. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित 320AD, इंदिरा नगर, स्पीकर हाउस के सामने, कांके रोड, रांची-झारखंड, पिन नं- 834008 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
11. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, जयस्तंभ चौक, रायपुर / रविवि शाखा, रायपुर को इस निर्देश के साथ कि संबंधित जिलों के समस्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा में वि.वि. के खाता क्रमांक 10049590022 में परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन पद्धति में इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / ए.टी.एम.कार्ड द्वारा जमा कराई गई परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के उपरोक्त खाता में जमा किये जाने की व्यवस्था करावें।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
13. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, को सूचनार्थ।
14. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार-पत्र, रायपुर को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

N
22-11-23
 उप.कुलसचिव (परीक्षा)